रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली

दिनांक 15.05.2021 को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए आयोजित बैठक के कार्यवृत्त

उपस्थित

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री के.एस.अहलूवालिया	माननीय अध्यक्ष, रे.दा.अधि./दिल्ली
2.	श्री सुनील माथुर	माननीय सदस्य (तकनीकी)
3.	श्री विजय कुमार	माननीय सदस्य (तकनीकी)
4.	श्रीमती आशिमा मेहरोत्रा	रजिस्ट्रार
5.	श्रीमती सारा जयाल साउक्मे	अपर रजिस्ट्रार
6.	श्री के.पी.एस.निर्वाल	सहायक रजिस्ट्रार
7.	श्री एन.एल.गांधी	माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव
8.	श्री देवेन्द्र भारद्वाज	मुख्य कार्यालय अधीक्षक
9.	श्रीमती सोनल बहल	कोर्ट मास्टर
10.	श्री शशि भूषण	वरिष्ठ लिपिक

1. दिनांक 15.05.2021 को रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली के माननीय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य मुद्दा माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दिनांक 14.05.2021 को जारी उस आदेश के संबंध में निर्णय लेना था जिसके तहत दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी के मद्देनजर ग्रीष्मकालीन छुट्टियों को पूर्व स्थगित करके 17 मई, 2021 से 3 जून, 2021 तक कर दिया गया था।
2. बैठक का शुभारंभ करते हुए श्रीमती आशिमा मेहरोत्रा, रजिस्ट्रार, रेल दावा अधिकरण, दिल्ली ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को माननीय उच्च न्यायालय,दिल्ली के आदेशों में उल्लिखित मुख्य मुद्दों की संक्षेप में जानकारी दी। तत्पश्चात् उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय से अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध किया।
3. कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी से उत्पन्न चिंताजनक स्थिति और इसके फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का जायज़ा लेते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय ने दोनों माननीय सदस्यों, रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मामले पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श के पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 14.05.2021 को जारी हाल ही के निर्देशों के प्रकाश में निम्नलिखित निर्देश दिए :-

(क) रेल दावा अधिकरण, दिल्ली की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां जो दिनांक 14.06.2021 से 25.06.2021 तक होनी निर्धारित थी, को पूर्व स्थगित किया जाता है और अब ये प्रचलित नियमों के अनुसार 17 मई, 2021 से 28 मई, 2021 तक रहेंगी।

(ख) रेल दावा अधिकरण, दिल्ली में अतिकालिक स्वरूप के मामलों में वेकेशन बैंच वर्चुअल माध्यम से लगाई जाएंगी और अन्य पीठों द्वारा बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 20.04.2021 को आयोजित वर्चुअल बैठक में विनिश्चित प्रक्रिया के अनुसार लगाई जाएगी।

तात्कालिक किस्म के मामलों में वर्चुअल माध्यम से सुनवाई के लिए पहले सप्ताह अर्थात 17 मई, 2021 से 21 मई, 2021 तक श्री सुनील माथुर, माननीय सदस्य (तकनीकी) और दूसरे सप्ताह में 24 मई, 2021 से 28 मई, 2021 तक श्री विजय कुमार, माननीय सदस्य (तकनीकी) की एक सदस्यीय बेंच लगाई जाएगी।

(ग) 17.05.2021 से 28.05.2021 तक सूचीबद्ध किए गए मामलों को स्थगित कर दिया जाएगा और कोर्ट मास्टर द्वारा इन्हें आगे की तारीखें दी जाएंगी तथा इस आशय की सूचना सभी संबंधितों को व्हाट्सएप ग्रुप तथा रेल दावा अधिकरण के वैब पोर्टल पर अपलोड करके सम्यक् रूप से संसूचित की जाएगी। कोर्ट मास्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी मामला सुनवाई के लिए बिना तारीख के न रह जाए।

(घ) प्रधान पीठ, दिल्ली की रजिस्ट्री शाखा अधिकारियों/कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या के साथ खुली रहेगी ताकि नए मामले, डब्ल्यूएस और विविध आवेदन आदि आसानी से फाईल किए जा सकें।

(ड.) इस अवधि के दौरान माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा यदि अन्य कोई निर्देश/आदेश पारित किया जाता है तो उस पर 28 मई, 2021 को प्रस्तावित वर्चुअल बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

बार एसोसिएशन और प्रेक्टिसिंग अधिवक्ताओं के साथ दिनांक 26.04.2021 को आयोजित विचार-विमर्श बैठक में यह पहले ही विनिश्चित किया गया है कि यदि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली 15 मई, 2021 के बाद भी सुनवाई की वर्तमान प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है तो रेल दावा अधिकरण, दिल्ली में भी यह स्वत: ही आगे बढ़ जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

Sd/-
(आशिमा मेहरोत्रा)
रजिस्ट्रार

दिनांक 15.05.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव-।। को माननीय अध्यक्ष महोदय की सूचना के लिए।
2. माननीय सदस्य (तकनीकी)-। के निजी सचिव को माननीय सदस्य (तकनीकी) की सूचना के लिए।
3. माननीय सदस्य (तकनीकी)-।। के निजी सचिव को माननीय सदस्य (तकनीकी) की सूचना के लिए।
4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, रेल दावा अधिकरण, दिल्ली।
5. बार एसोसिएशन।
6. नोटिस बोर्ड।
7. कोर्ट मास्टर, रेल दावा अधिकरण, दिल्ली।
8. रेल दावा अधिकरण के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु संबंधित कर्मचारी को।
9. रजिस्ट्री के कर्मचारी